विष्णुप्रयाग और श्रीनगर पनिबजली परियोजनाएं

- *122. प्रो. अलका क्षत्रिय: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या यह सच है कि उत्तरांचल को विष्णुप्रयाग और श्रीनगर पनिबजली परियोजनाओं पर नये सिरे से हस्ताक्षर किए जाने का विचार है,
 - (ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं,
- (ग) क्या उत्तर प्रदेश की 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली की मांग इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मुख्य रुकावट है, और
- (ध) यदि हाँ, तो सरकार को उक्त रुकावट को दूर करने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यास क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जीहां।

- (ख) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विष्णुप्रयाग और श्रीनगर जल विद्युत स्कीमों को क्रियान्वयन हेतु निजी क्षेत्रों को सौंपा गया था। बाद में उत्तर प्रदेश राज्य के विघटन होने और उत्तरांचल नया राज्य बन जाने के बाद ये स्कीमें अब नए राज्य उत्तरांचल में आती हैं, यद्यपि इनसे उत्पादित विद्युत की आपूर्ति उत्तर प्रदेश को की जाएगी। इस संदर्भ में कुछेक करारों यथा क्रियान्वयन करार, विद्युत क्रय करार और एस्क्रो करार इत्यादि जो कि पहले ही, परियोजना विकासकर्ताओं और यू.पी.एस.ई.बी. के बीच निष्यन्न है, उपयुक्त रूप से संशोधित किए जाने हैं।
- (ग) और (घ) उत्तरांचल सरकार की इन दोनों जल विद्युत उत्पादन स्कीमों से 12% निशुल्क विद्युत प्राप्त करने की मांग संबंधी मुद्दे पर चर्चा अन्य के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ 24 जून, 2002 को सचिव (विद्युत) द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में की गई थी। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों द्वारा यह सूचित किया गया था कि विष्णुप्रयाग परियोजना के संबंध में उत्तरं प्रदेश राज्य सरकार उत्तरांचल को 12% निशुल्क विद्युत प्रदान करने के लिए तैयार हैं यदि उत्तर प्रदेश द्वारा इस विद्युत की निकासी किए जाने हेतु पारेषण नेटवर्क निर्मित करने की अनुमति मिल जाती है। बाद में उत्तरांचल सरकार इस

मात्रा के लिए राजी हो गयी। कथित बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि श्रीनगर परियोजना के लिए भी उन्होंने समान कार्रवाई करना प्रस्तावित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना से उत्तरांचल के लिए 12% निशुल्क विद्युत पर वे पहले ही सहमति प्रदान कर चुके हैं। जहाँ तक श्रीनगर परियोजना का संबंध है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी सूचित किया है कि विष्णुप्रयाग परियोजना के संबंध में संशोधित पीपीए और संशोधित एस्क्रो और बन्धक करार (हाइपोथिकेसन एग्रीमेंट) हस्ताक्षरित कर लिए गए हैं। इस परियोजना के संशोधित क्रियान्ययन करार को अंतिम रूप दिए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तरांचल सरकार सिक्रय रूप से विचार कर रही हैं।

Vishnuprayag and Srinagar Hydro-power Projects

- †*122. PROF. ALKA BALRAM SHATRIYA: Will the Minister of POWER be pleased to state:
- (a) whether it is a fact that agreements for Vishnuprayag and Srinagar hydropower projects of Uttaranchal are proposed to be signed afresh;
 - (b) if so, the reasons therefor;
- (c) whether Uttar Pradesh's demand for 12 per cent free power is the main hurdle in the implementation of these projects; and
- (d) if so, the details of action Government propose to take to resolve the said hurdle?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

- (a) Yes, Sir,
- (b) The Vishnuprayag and Srinagar Hydro-electric schemes were awarded for implementation in the private sector by the Uttar Pradesh State Electricity Board (UPSEB). Subsequently, consequent to bifurcation of the State of Uttar Pradesh and formation of the new State of Uttranchal, these schemes now fall in the new State of Uttaranchal though the power to be generated would be supplied to Uttar Pradesh. It is in this context that some of the agreements viz., the Implementation Agreement, Power Purchase Agreement (PPA) and Escrow Argreement already entered into between the project developers and the UPSEB, may have to be suitably amended.

[†]Original notice of the question was received in Hindi.

(c) and (d) The issue regarding demand of the Government of the Uttaranchal for 12% free power from these two hydro electric generation schemes was discussed in a review meeting taken by the Secretary (Power) on 24th June, 2002 with representatives, inter-alia, from the Government of Uttar Pradesh and Uttaranchal. During the meeting, it was informed by the representatives of Uttar Pradesh that the State Government of Uttar Pradesh is prepared to give 12% free power to Uttaranchal in regard to the Vishnuprayag project, if the transmission network for evacuation of this electricity is allowed to be constructed by Uttar Pradesh. Government of Uttaranchal have subsequently agreed to this proposition. It was also informed by the representative of Government of Uttar Pradesh during the said meeting that they propose to take similar action for the Srinagar project also. The Government of Uttar Pradesh has informed that 12% free power from the Vishnuprayag Hydro-Electric project to Uttaranchal, has already been agreed to by them. In regard to the Srinagar project, the decision is yet to be taken by the Government of Uttar Pradesh.

Government of Uttar Pradesh has also informed that the amended PPA and amended Escrow and Hypothecation Agreement have been signed in respect of the Vishnuprayag project. The finalization of the revised Implementation Agreement of this project is under active consideration of the UP Government and Uttaranchal Government.

प्रो. अलका क्षत्रिय: सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि उत्तरांचल के अंदर जो दो नई पनिबजली परियोजनाएं कार्यान्वित होने जा रही हैं, उनके बारे में जो बाधा हुई है उसके लिए क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जवाबदेह है ? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त बिजली की जो मांग की है वह इसमें बाधक है, अगर यह बात सच है तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री अनंत गंगाराम गीते: सभापित जी, मूल प्रश्न के उत्तर में हमने इसे स्पष्ट कर दिया है फिर भी सदन में माननीय सदस्या ने मांग की है इसिलए मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि ... (ट्यबधान) ...

प्रो. अलका क्षत्रिय: मैं पनबिजली परियोजनाओं के बारे में जानना चाहुंगी।

श्री अनन्त गंगाराम गीते: मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये जो विष्णुप्रयाग और श्रीनगर जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ये जल विद्युत परियोजना राज्य सरकार और निजी क्षेत्र की साझेदारी से बनने जा रही हैं। जहां तक बारह प्रतिशत मुफ्त बिजली की बात है तो जिस राज्य में यह परियोजना बनने जा रही हैं, यह देने की जो परंपरा है, उसके मुताबिक जब ये परियोजनाएं बनाई गईं, जब

इनका प्लान किया गया तब एक राज्य था लेकिन अब राज्य का 'पुनर्गठन होकर उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल हो गया है। ये परियोजनाएं उत्तरांचल में आती हैं। सभापित जी, वैसे तो यह राज्य का विषय है लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि परियोजनाएं समय पर तैयार हों। जो बिजली की मांग है उसकी पूर्ति हम कर सकें, इसके लिए मंत्रालय की ओर से प्रयास किए गए हैं। उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के साथ मीटिंग करके उन्हें यह समझाया। गया कि जिस राज्य में ये परियोजनाएं बनने जा रही हैं, ये उसके अधिकार में हैं। विष्णुप्रयाग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश ने इस बात को मान लिया है। जब ये परियोजनाएं चलेंगी तो जो बारह प्रतिशत फ्री बिजली का फ्री लाभ मिलना चाहिए वह उत्तरांचल को मिल जाएगा। इसी प्रकार से श्रीनगर के संबंध में भी चर्चा हो गई है। अभी उसका कमीशन होना बाकी है। जब कमीशन हो जाएगा तब उस पर भी निर्णय होगा। उत्तर प्रदेश सरकार अपने कैबिनेट में इसका फैसला निश्चित रूप से करेगी। जो परंपरा है, उस परंपरा के मुताबिक जिस राज्य में परियोजना है, उसे उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं माननीय सदस्या की इस भावना से सहमत हूं।

प्रो. अलका क्षत्रिय: यह कमीशन कब तक बन जाएमा? कितने समय के अंदर बन जाएगा?

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति जी, समय के बारे में कहना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि यह परियोजना राज्य की है। निजी क्षेत्र को लेकर इस परियोजना को बनाया जा रहा है। प्रयास निरन्तर चल रहा है कि ये परियोजनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाएं।

श्री हरीश चन्द्र सिंह: सभापित जी, उत्तरांचल में जल विद्युत की अपार संभावनाएं हैं। हिमालयी राज्यों में यही राज्य ऐसा है जहां पर जल विद्युत संपदा का दोहन ठीक प्रकार से नहीं हो पाया है। कुछ शुरुआत हुई है और इस शुरुआत स्वरूप माननीय मंत्री जी ने अभी दो परियोजनाओं का जिक्र किया है कि, उसके विषय में पावर शेयिरेंग एग्रीमेंट फाइनल हो चुका है। यह एक अच्छी सूचना है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि क्या उस क्षेत्र में कार्यरत एन.एच.पी.सी. और टी.एच.डी.सी., जो भारत सरकार के अधीन हैं, इन संस्थाओं को, इन उपक्रमों से यह कहा जाएगा कि वे वहां पर अपना कार्य क्षेत्र विस्तारित करें नई परियोजनाएं, जो राज्य में प्रस्तावित हैं, जिनमें धौलीगंगा फेज-2 और गौरीगंगा फेज-1, इसी प्रकार से हमारी लक्कारिश जैसी दूसरी परियोजनाएं हैं, जिनके प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पहले से ही लंबित हैं, क्या इन प्रस्तावित अन्वेषित योजनाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार एन.एच.पी.सी. और टी.एच.डी.सी. को स्वीकृति देगी? क्या यह संभव है जहां अन्वेषण प्रस्तावित है, उनके अन्वेषण का कार्य करवाया जाएगा?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापित जी, मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह से सहमत हूं कि उत्तरांचल में पन बिजली की क्षमता काफी है। इसे पूरे तौर पर इस्तेमाल करने का प्रयास ऊर्जा मंत्रालय की ओर से निश्चित रूप से किया जाएगा। आपने यहां पर घौलीगंगा का जिक्र किया तो मैं बता दूं कि 280 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो कि 2005 तक पूरा हो सकेगा। एन एच पी.सी. को भी इसी प्रकार से सूचनाएं मंत्रालय की और से दी गई है। विशेषकर जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण है उसकी ओर से उत्तरांचल से लेकर, राष्ट्र के, देश के हर प्रांत में, जहां पर पन बिजली की क्षमता है। हम प्रोजेक्ट, परियोजनाएं कर सकते हैं। उसका प्रथम सर्वेक्षण भी हुआ है। यह प्रयास निरंतर हो रहा है कि जो हमारी परंपरागत जल विद्युत पद्धित है, पनबिजली है उसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए और उसका सही उपयोग किया जाए। इस प्रकार का प्रयास निरंतर शुरू है। जो भी प्रस्ताव उत्तरांचल के विलम्बित हैं उन प्रस्तावों को जल्द से जल्द निपटाया जाएगा।

SHRI B.J. PANDA: Sir, from the Hon. Minister's statement it appears that there is a commendable degree of cooperation between these two neighbouring States, where Uttaranchal has asked for free power and Uttar Pradesh has agreed, in fact, to build the transmission line and give them free power. My question to the Hon. Minister is regarding the percentage of free power. I would like to know whether there are any norms laid down by the Ministry. This is important. Increasingly, in recent times, many projects have got affected, because the States in which the project is being built, demands for power and the percentage has varied. Twelve per cent is a number that we have seen. There are lower numbers and higher numbers. This is relevant because in hydro-projects like this, there are issues of displacement of people. In Thermal projects, there are issues of handling of ash and other bi-products. Particularly when the electricity is going to different States....

MR. CHAIRMAN: What do you want to know from the Minister in this particular question?

SHRIB. J. PANDA: I would like to know if there is a norm laid down. If not, whether he proposes to put down such a norm.

श्री अनन्त गंगाराम गीते : सभापति जी, 12 प्रतिशत मुफ्त बिजली देने की जो बात है, जब एनएचपीसी या ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा हम एक राज्य में परियोजनाएं बनाते हैं और उसका लाभ हम कई राज्यों को देते हैं तो जब परियोजना किसी एक राज्य में बनती है और अनेक राज्य उसका लाभ उठाते हैं तो जिस राज्य में ये परियोजनाएं चलायी जाती हैं उस राज्य की यह मांग निरंतर रहती है कि हमारे क्षेत्र में ये परियोजाएं चलायी जा रही हैं उसका लाभ अन्य राज्य उठाते हैं

श्री सभापति : आप इनके प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री अनन्त गंगाराम गीते : उसी का उत्तर दे रहा हूं। इसिल्ए यह 12 प्रतिशत की बात तय हो गयी और परंपरा के तहत यह 12 प्रतिशत की बात निरंतर चलती आ रही है। अब कुछ राज्य 12 प्रतिशत से बढ़ाकर ज्यादा मुफ्त बिजली मांगने की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : ठीक है। प्रश्न संख्या 123

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

- *123. श्री जनेश्वर मिश्र : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
- (क) देश में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश के विभिन्न राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की खपत का ब्यौरा क्या है; और
 - (ग) अंतर्राष्ट्रीय आंकडों के साथ इन आंकडों की तुलना किस तरह की जा सकती है ?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

- (क) वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिए)
- (ख) राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों द्वारा ग्रामीण एवं शहरी खपत के लिए पृथक श्रेणीकरण नहीं किया जाता है। भारत में कृषि उपभोक्ताओं को दो जाने वाली विद्युत आपूर्ति लगभग 30% सूचित की गयी है। घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति लगभग 21% अनुमानित की गयी है।
- (ग) भारत में विद्युत की प्रति व्यक्ति खपत विकासशील देशों और विकसित देशों की प्रति व्यक्ति विद्युत खपत की तुलना में कम है। तथापि, भारत की प्रति व्यक्ति खपत पड़ोसी देशों अर्थात्